तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/190) बअनवान ओमसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

ओमसिंह व अन्य

बनाम

भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

आदेश

दिनांक 20.01.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 120/2022 अनवान भँवरसिंह बनाम ओमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10 मई 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 774, 775, 776, 777 कुल रकबा 10.1090 हैक्टेयर मौजा मथानिया उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा निहित है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स प्रत्येक अपने हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 40 वर्षो से काबिज चले आ रहे है। अपीलांट्स एवं रेस्पो. के मध्य वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके को लेकर कोई विवाद आज दिन तक नही हुआ तथा अपीलांट अपने 1/2 हिस्से पर अलग से काबिज है तथा रेस्पोडेंट्स अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। इस कारण एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/190) बअनवान ओमसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिये। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा भी आदेश दिनांक 26.05.2022 के जरिये विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की गई है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने से पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2022 के जरिये अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया गया, जिसकी दुरुपयोग करते हुए अपीलांट्स द्वारा मौके की स्थिति को परिवर्तन करने की कोशिश की गई। इस कारण अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2022 के जरिये अपीलाधीन आदेश को पुनः बहाल किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में नहीं होकर रेस्पो. के पक्ष में प्रतीत होते है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/190) बअनवान ओमसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। लिहाजा अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश संतुलित एवं विधिसम्मत पाये जाने से उसमें हस्तेक्ष किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषिति किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 120/2022 अनवान भॅवरसिंह बनाम ओमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2022 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर